न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : रघुनाथ (आर.ए.एस.)
अपील संख्या : 11/2016

1. चमेली पुत्री किशनदास पत्नी बृजमोहन जाति वैष्णव बैरागी निवासी नवलपुरा हाल प्रेमनगर, कोटा।
2. बदाम पुत्री किशनदास पत्नी हेमराज जाति वैष्णव बैरागी निवासी इन्द्रगढ़ जिला बूंदी।
3. गुड्डी पुत्री किशनदास पत्नी रामस्वरूप जाति वैष्णव बैरागी निवासी जमूलखेड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. संतरा पुत्री किशनदास पत्नी भानू कुमार जाति वैष्णव बैरागी निवासी नवलपुरा जिला बूँदी।

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. धापू बेवा किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।
2. महावीरदास पुत्र किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।
3. विमलदास पुत्र किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।
4. माया पत्नी कमलेश जाति वैष्णव बैरागी निवासी ग्राम पचाला जिला टोंक।

(रेस्पोण्डेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 06.06.2012
ग्राम कुश्तला तह. व जिला सवाई माधोपुर

उपस्थिति अभिभाषकगण
श्री पारस मल जैन एडवोकेट अपीलाण्टान की और से
श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट रेस्पोण्डेन्ट्स की और से

निर्णय

दिनांक 6.11.19

अपीलाण्टान द्वारा एक अपील नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 06.06.2012 ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास पुत्र गंगादास की पुत्रीयॉ है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 मृतक किशनदास की पत्नी है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 2 एवं 3 मृतक किशनदास के पुत्र है तथा किशनदास के एक पुत्र कमलदास की मृत्यु हो चुकी है कि जिसके कोई वारिस नहीं है। रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 4 जो कि मृतक किशनदास के पुत्र कमलदास की नाबालिग अवस्था में हुई शादी की पत्नी थी जो कमलदास की मृत्यु के पूर्व ही ग्राम पचाला के कमलेश के साथ विवाह कर लिया किन्तु कमलदास की मृत्यु के पश्चात कमलदास के स्थान पर माया का नाम कमलदास की पत्नी के रूप में दर्ज कर दिया गया जबकि माया का नाम दर्ज ही नहीं होना चाहिये था। अपीलाण्टान के पिता किशनदास का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके हिस्से की आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलाण्टान के नाम किशनदास की पुत्रीयॉ होने के कारण उसके उत्तराधिकारी होने से खोला जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोण्डेन्ट्स ने अपीलाण्टान का किशनदास की पुत्रीयॉ होने का तथ्य छिपाकर कतई गलत ढंग से नामान्तरकरण संख्या 382 मृतक किशनदास की पत्नी तथा पुत्रों के नाम तस्दीक करा लिया जबकि नामान्तरकरण संख्या 382 अपीलाण्टान के नाम भी होना चाहिये था जो नहीं कर नामान्तरकरण संख्या 382 तस्दीक करने में गलती की थी। अपीलाण्टान के भाई कमलदास की भी मृत्यु हो गई थी जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके नाम के स्थान पर अपीलाण्टान का नाम तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु कमलदास के स्थान पर माया पत्नी कमलदास के नाम से नामान्तरकरण

4

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तस्दीक कर दिया कि जो कतई गलत है क्योंकि माया मृतक कमलदास पत्नी नहीं थी क्योंकि माया एवं कमलदास का विवाह नाबालिग अवस्था में ही हुआ था तथा माया ने कमलदास के जीवनकाल में ही नाबालिग अवस्था में ही कमलदास को छोड़कर ग्राम पचाला में कमलेश से विवाह कर लिया था तथा जब से ही माया कमलेश के साथ कमलेश की पत्नी के रूप में ग्राम पचाला में रह रही है तथा माया का कमलदास से नाबालिग अवस्था में केवल विवाह हुआ था गोना भी नही हुआ था तथा माया कभी कमलदास के यहॉ आकर पत्नी के रूप में कभी रही भी नहीं थी माया एवं कमलदास का विवाह जो कि दोनो की ही नाबालिग अवस्था में हुआ था इस कारण इन दोनो का विवाह विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी था तथा नाबालिग अवस्था में ही नाबालिग अवस्था में ही कमलदास को छोड़कर कमलेश से विवाह कर लेने के कारण कमलदास की सम्पत्ति में माया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था फिर भी कमलदास की मृत्यु कमलदास की नाबालिग अवस्था में ही हो जाने के पश्चात माया का नाम कमलदास की पत्नी के रूप में नामान्तरकरण में जोड़कर तस्दीक कर दिया गया कि जो कतई गलत है जबकि कमलदास के स्थान पर अपीलाण्टान का तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्टान को उक्त नामान्तरकरण संख्या 1969 की जानकारी कभी नहीं हुई थी और न ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अथवा पटवारी हल्का ने कोई सूचना दी और न ही अपीलाण्टान को बुलाया गया और न ही नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व नियमों की कोई पालना की गई। अपीलाण्टान के पिता किशनदास की हिस्से की आराजीयात में अपीलाण्टान के हिस्से की माल पैदावार का हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलाण्टान को दिया जाता रहा इस कारण अपीलाण्टान को यह अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था कि अपीलाण्टान का नाम नामान्तरकरण में नहीं लिखा गया हो। अपीलाण्टान रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के पास अपने हिस्से की माल पैदावार का हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के पास लेने के लिए दिनांक 28.8.16 को ग्राम कुश्तला में आई तो रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलाण्टान को हिस्सा देने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा किशनदास की जमीन में कोई लेना देना अथवा हिस्सा नहीं है और न ही जमीन में तुम्हारा नाम है और यह भी कहा कि कमलदास के हिस्से की जमीन में भी तुम्हारा कोई लेनादेना नहीं है। जिस पर अपीलाण्टान ने सवाई माधोपुर आकर उक्त सम्बन्ध में जानकारी की तथा उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु तहसील सवाई माधोपुर में दिनांक 29.8.16 को आवेदन प्रस्तुत कराया जिस पर तहसील सवाई माधोपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण की नकल तैयार कराकर नकल दिनांक 6.9.16 को दी गई कि जिस दिन उक्त नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्टान को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलाण्टान को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपीलाण्टान की अपील बयोम इल्म दिनांक 6.9.16 से अंदर मिंयाद प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण कतई गलत ढंग से विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत अपीलाण्टान को मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ होते हुए भी तथा मृतक कमलदास की बहन होते हुए भी तथा उसकी वारिस एवं उत्तराधिकारी होते हुए भी बिना सूचना दिये अपीलाण्टान के अधिकारों से वंचित करते हुए स्वीकार किया है कि जो नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है तथा अपीलाण्टान को भी मृतक किशनदास की उत्तराधिकारी वारिस होने तथा मृतक कमलदास की बहन होने के कारण भी तथा उसकी वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण अपीलाण्टान का नाम भी जोड़ा जाना आवश्यक है तथा माया पत्नी कमलदास का नाम जो गलत ढंग से दर्ज किया गया है को हटाया जावे तथ अपीलाण्टान का नाम दर्ज किया जावे। अपीलाण्टान ने निवेदन किया कि अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 6.6.2012 ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर निरस्त किया जाकर मृतक कमलदास के उत्तराधिकारी वारिस होने के कारण अपीलाण्टान का नाम नामान्तरकरण मे दर्ज किया जावे तथा माया पत्नी कमलदास का नाम जो कि गलत रूप से दर्ज किया गया है को हटाया जावे तथा अपील के साथ धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उप जिला कलेक्टर
सवाई मा...

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोण्डेन्ट्स सं. 1 लगा. 3 की और से श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा माया स्वयं दिनांक 27.6.19 को उपस्थित हुई किन्तु उसके बाद माया अनुपस्थित रही है।

बहस सुनी गई अपीलाण्टान के अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है इस कारण उनका मृतक किशनदास की आराजीयात में हक एवं अधिकार है तथा मृतक किशनदास के पुत्र कमलदास की नाबालिग अवस्था में शादी माया के साथ हुई थी जो कमलदास की मृत्यु के पूर्व ही ग्राम पचाला के कमलेश के साथ विवाह कर वहॉ चली गई तथा ग्राम पचाला में ही कमलेश के साथ पत्नी के रूप में रही इस कारण कमलदास का एवं माया नाबालिग अवस्था में दोनो का विवाह विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी था इस कारण कमलदास की सम्पत्ति में माया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है किन्तु कमलदास की मृत्यु के बाद कमलदास के स्थान पर माया का नाम कमलदास की पत्नी के रूप मे कतई गलत दर्ज कर दिया जबकि माया का नाम दर्ज नहीं होना चाहिये था बल्कि उसके स्थान पर अपीलाण्टान का नाम एवं रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 का नाम दर्ज होना चाहिये था जो नही किया गया है तथा और इस तरह नामान्तकरण गलत खोला गया है तथा विधि विरूद्ध है जिसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मिंयाद मानते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर कमलदास के हिस्से का नामान्तरकरण जो माया के नाम दर्ज किया गया है उसमें माया के स्थान पर अपीलाण्टान का एवं रेस्पोण्डेन्ट्स सं. 1 लगा. 3 का नाम भी दर्ज करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। रेस्पोण्डेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को तो स्वीकार किया गया है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है किन्तु इस तथ्य से इंकार किया कि रेस्पोण्डेन्ट्स के द्वारा अपीलाण्टान के पुत्रीयॉ होने के तथ्य को छिपाया हो। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस का मनन करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है तथा अपीलाण्टान का पुत्रीयॉ होने के कारण मृतक किशनदास की सम्पत्ति में अधिकार है तथा मृतक कमलदास की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति पर अपीलाण्टान द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों के आधार पर कमलदास के वारिसों के सम्बन्ध में जॉच किया जाना चाहिये था तथा उसके सम्बन्ध में अपीलाण्टान को भी सुना जाना चाहिये था कि जो नहीं सुना गया है अपीलाण्टान का भी उनके कथनों के अनुसार कमलदास के वारिस के रूप में अधिकार बनने का तथ्य सामने आया है इस कारण कमलदास के वारिसान के सम्बन्ध जॉच किया जाकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अपील में वर्णित कथनों एवं धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना में अंकित तथ्यों का कोई खंडन नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मिंयाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1969 दिनांक 06.06.2012 ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे मृतक किशनदास के वारिसान के रूप में अपीलाण्टान के नाम भी मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ होने के कारण उनका नाम भी दर्ज करने पश्चात कमलदास के हिस्से के सम्बन्ध में वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रघुनाथ(आर.ए.एस.)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.12.26 11:47:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: